संख्या- 45/2022/854/001-56-1099-177-2019

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 17 मई, 2022

विषय: चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में 11KV HT भूमिगत लाइन बिछाने हेतु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लाइसैन्स फीस एवं Refundable Security Deposit के मद में DEO (डिफेन्स इस्टेट ऑफिसर) को भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 23/आर0सी0एस0-के-1/ 2018 दिनांक 21 अप्रैल, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में 11 KV HT भूमिगत लाइन बिछाने हेतु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पर 05 वर्षों हेतु लाइसैन्स फीस के भुगतान हेतु रू0 4,21,540/- तथा Refundable Security Deposit के रूप में एकमुश्त रू0 1,68,616/- सहित कुल धनराशि रू0 5,90,156/- (रूपए पाँच लाख नब्बे हजार एक सौ छप्पन मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, कानपुर नगर के निवर्तन हेतु अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष-2022-23 में आर0सी0एस0 स्कीम में चयनित चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में 11KV HT भूमिगत लाइन बिछाने हेतु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लाइसैन्स फीस एवं Refundable Security Deposit के मद में DEO (डिफेन्स इस्टेट ऑफिसर) को धनराशि रू0 5,90,156/- (रूपए पाँच लाख नब्बे हजार एक सौ छप्पन मात्र) का भुगतान किए जाने की सहर्ष स्वीकृत निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय में सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

II. धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

III. स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं दिनांक 29 मार्च, 2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

IV. आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

V. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है ।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता अनुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 5,90,156/- (रूपए पाँच लाख नब्बे हजार एक सौ छप्पन मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, कानपुर नगर के निर्वतन पर रखी जाएगी और जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा यथा आवश्यकता सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-38 पूँजी लेखा-लेखाशीर्ष "5053 नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02- विमानपत्तन-800-अन्य व्यय 20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

<u>पृ0सं0: 45/2022/854(1)/001-56-1099-177-2019 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
5- निदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।